


201122014 लकीर छापीं उपस्थित, विद्यार्थी  
पत्रिका / छापीं लकीर द्वारा द्वारा  
द्वारा वास्तव में की गयी प्रभावशी  
का आकलन करने पर पाया कि  
दस्तावेज धारक का से संबंधित  
किस वास्तव वाद संबंधित का विभागीय

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

यह रव है और पेरी तारीख पर  
 है ही किसे प्रती वांछित अनुसंधान  
 प्राप्त पर सकता है) उक्त कारण,  
 उत्तरगत प्रकरण हुसैन को पमाने  
 का औचित्य नहीं है, क्योंकि नाम सुनी  
 का अनुसंधान तो वाद का में ही  
 प्राप्त हो सकता है) उक्त कारण प्रती  
 को विमान ही जाती है, कि वाद का  
 में नाम सुनी हेतु RT Act की धारा  
 88 के तहत वांछित अनुसंधान प्राप्त की  
 जाऊंगा की प्रती करे। प्रती तूत में  
 उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही की जा रही  
 नहीं होने के कारण उक्त तार पर  
 प्रकरण बंद ही जाता है।

प्रार्थना कि हुसैन को वाद का  
 दायर हो

उपखण्ड अधिकारी  
 (S.D.O.) बालोतरा

20/11/11